भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 80

03 फरवरी, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

स्मार्ट सिटी मिशन परियोजनाओं का तीसरे पक्ष द्वारा लेखापरीक्षा

80 श्री एस. निरंजन रेड्डीः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने स्मार्ट सिटी मिशन परियोजनाओं के तीसरे पक्ष द्वारा मूल्यांकन हेतु संसदीय समिति की सिफारिश को लागू किया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) 100 स्मार्ट शहरों में किए गए प्रभाव मूल्यांकन अध्ययनों के आधार पर क्या निष्कर्ष निकाले गए और क्या कार्रवाई की गई;

(ग) सरकार स्मार्ट सिटी मिशन में विशेषकर छोटे शहरों में होने वाले विलंब को दूर करने के लिए क्या कदम उठा रही है; और

(घ) सरकार किस प्रकार इन शहरों में कार्यान्वयन क्षमता को मजबूत करने की योजना बना रही है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) और (ख) 'नीति आयोग' द्वारा 'शहरी परिवर्तन क्षेत्र में केंद्र प्रायोजित योजनाओं के मूल्यांकन' के लिए एक मध्यावधि मूल्यांकन अध्ययन किया गया था। अध्ययन के भाग के रूप में, स्मार्ट सिटीज मिशन का मूल्यांकन किया गया और रिपोर्ट फरवरी 2021 में प्रकाशित की गई। हाल ही में, नीति आयोग द्वारा मिशन का तीसरे पक्ष द्वारा मूल्यांकन की पहल शुरू की जा चुकी है।

इसके अलावा, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने स्मार्ट शहरों द्वारा शुरू की गई पहलों के विषयगत प्रभाव आकलन के लिए प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थाओं के साथ साझेदारी की है। अध्ययनों का लक्ष्य शहर/राष्ट्रीय स्तर पर स्मार्ट सिटीज मिशन के प्रभाव को समझना और अन्य शहरों के साथ साझा किए जाने वाले अध्ययनों का संकलन करना तथा किसी भी भावी शहरी विकास मिशनों के लिए इसका उपयोग करना है।

(ग) और (घ) एससीएम के तहत परियोजनाओं की प्रगति में तेजी लाने के लिए आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की एक बहु-स्तरीय समीक्षा संरचना है। राष्ट्रीय स्तर पर, कार्यान्वयन की निगरानी आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता वाली एक शीर्ष समिति द्वारा की जाती है। राज्य स्तर पर, मिशन कार्यान्वयन की निगरानी मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली राज्य स्तरीय उच्चाधिकार प्राप्त संचालन समिति (एचपीएससी) द्वारा की जाती है। शहरी स्तर पर, सभी 100 स्मार्ट शहरों के लिए विभिन्न हितधारकों के बीच परामर्श और सहयोग के लिए स्मार्ट सिटी सलाहकार मंच (एससीएएफ) के गठन का प्रावधान है।

आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने राज्यों और परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों को विभिन्न परामर्शिकाएं जारी की हैं, जिनमें परामर्श प्रक्रिया के महत्व को दोहराया गया है, विशेष रूप से जन प्रतिनिधियों की भागीदारी का आवश्यक रूप से पालन किया जाना चाहिए। विशेष प्रयोजन तंत्र के बोर्ड में आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के नामित निदेशक संबंधित शहरों में प्रगति की नियमित आधार पर निगरानी करते हैं। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय वीडियो कॉन्फ्रेंस, समीक्षा बैठकों, क्षेत्रीय दौरों, क्षेत्रीय कार्यशालाओं के माध्यम से विभिन्न स्तरों पर राज्यों/स्मार्ट शहरों के साथ नियमित रूप से संपर्क करता है, ताकि 5 लाख से कम शहरी आबादी वाले 45 शहरों (जनगणना 2011 के अनुसार) सहित 100 स्मार्ट शहरों/शहरी स्थानीय निकायों के कार्य निष्पादन का आकलन किया जा सके और जहां भी आवश्यक हो, उन्हें इसमें सुधार करने के लिए संभव सहायता दी जा सके।

*****